न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 71/2017

खेतपाल पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी ग़ाम निरवाणा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। — अपीलार्थी

बनाम

1. अनुराधा पत्नी हेतराम पुत्र बेगाराम
2. सुमनबाला पत्नी दयालाराम पुत्र बेगाराम
3. पार्वती देवी पत्नी रूपाराम पुत्र बेगाराम
4. मूलचन्द पुत्र बेगाराम

जाति जाट निवासी ग्राम निरवाणा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

5. प्रबन्धक बैंक आफ इण्डिया शाखा सूरतगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।
7. उपपंजीयक सूरतगढ।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 20.04.2017

उपस्थितिः—

श्री बाबूलाल चाण्डक , अभिभाषक अपीलांट ।

श्री राकेश मनचन्दा अभिभाषक रेस्पों. सं. 2

श्री श्यामसुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :— 26.09.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/ अपीलांट द्वारा एक वाद राज.काश्त.अधि. की धारा 88, 53, 188, 92ए, 209ए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष पेश किया। उक्त वाद में प्रतिवादी सं.

26/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

2 ने एक प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी पेश किया जो अधी. न्यायालय द्वारा दिनांक 20.04.2017 को स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट एवं रेस्पों. के मध्य यह राजीनामा हुआ कि वह अपील में कोई कार्यवाही नहीं चाहते अर्थात अधी. न्यायालय ने वादी प्राथी/अपीलांट के सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के प्रा.पत्र को स्वीकार कर दावा खारिज किया है उससे अपीलांट सहमत है तथा दावे में वादी/अपीलांट के हक हकूक नहीं मिले हैं वे अपील में भी मिलने योग्य नहीं है। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय तकनीकि आधारा आदेश 7 नियम 11 के अतिरिक्त वादी का दावा on the basis confess decree योग्य है। तद्नुसर अपील अपीलांट गुणावगुण के आधार पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर